



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14092026-276158
CG-DL-W-14092026-276158

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12—सितम्बर 18, 2026 (भाद्रपद 21, 1948)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12—SEPTEMBER 18, 2026 (BHADRA 21, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, ...	393	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं, ...	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	893	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं), ...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	9	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश, ...	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	1423	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	3755
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम, ...	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस, ...	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ...	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट, ...	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं, ...	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं), ...	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस, ...	7697
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण, ...	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	393	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	893	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	9	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1423	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3755
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	7697
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2026

सं. 9-13/2026-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, श्रीनिवासन चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, निम्नलिखित संस्थानों को मिलाकर 'धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च', एनएच-45, त्रिची-चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग, सिरुवाचुर, पेरम्बलूर, तमिलनाडु) के नाम पर 'सम विश्वविद्यालय' संस्था का दर्जा पाने के लिए यूजीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था:

- i. धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल
- ii. धनलक्ष्मी श्रीनिवासन डेंटल कॉलेज
- iii. श्रीनिवासन कॉलेज ऑफ नर्सिंग।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 02.03.2026 के अपने पत्र संख्या 40-13/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से की गई थी। समिति ने समग्र मूल्यांकन के बाद, सर्वसम्मति से सिफारिश की कि धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, सिरुवाचुर, पेरम्बलूर, तमिलनाडु के नाम पर विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्था की स्थापना के लिए कुछ शर्तों के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जा सकता है। समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 30.01.2026 को हुई अपनी 595वीं बैठक में विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया।

4. और जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर श्रीनिवासन चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, तमिलनाडु को 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए दिनांक 25.05.2026 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया। इसके अतिरिक्त, प्रायोजक ट्रस्ट ने दिनांक 04.06.2026 के पत्र के माध्यम से एलओआई में उल्लिखित शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि उसने प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय के लिए एक विशेष ट्रस्ट (धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ट्रस्ट) बनाया है। अनुपालन रिपोर्ट जांच और सलाह के लिए यूजीसी को भेजी गई।

5. और इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने दिनांक 27.07.2026 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि प्रायोजक निकाय की अनुपालन रिपोर्ट को उसकी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया और विशिष्ट श्रेणी के तहत धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, सिरुवाचुर, पेरम्बलूर, तमिलनाडु को सम विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा देने की सिफारिश की गई। समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 06.07.2026 को हुई अपनी 598वीं बैठक (मद सं. 2.30) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, एतद्वारा यूजीसी की सलाह पर, धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, त्रिची-चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग, सिरुवाचुर, पेरम्बलुर, तमिलनाडु के नाम पर विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए, अनुमोदन प्रदान करता है, जिसमें उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित संस्थान शामिल हैं। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- i. धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, सिरुवाचुर, पेरम्बलुर, तमिलनाडु, समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 का पालन करेगा।
- ii. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- iv. धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, पेरम्बलुर, तमिलनाडु किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- v. धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, पेरम्बलुर, तमिलनाडु में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- vi. धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, पेरम्बलुर, तमिलनाडु अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- vii. धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, पेरम्बलुर, तमिलनाडु समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।
- viii. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, पेरम्बलुर, तमिलनाडु द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।
- ix. धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, पेरम्बलुर, तमिलनाडु यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को संगम जापन (एमओए) प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम जापन/नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- x. धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, पेरम्बलुर, तमिलनाडु यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xi. धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, पेरम्बलुर, तमिलनाडु इस मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xii. धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेरम्बलुर, तमिलनाडु के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) बनाए, अपने छात्रों की पहचान (आईडीटी) तैयार करे, उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करे और यह सुनिश्चित करे कि ये क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल पर प्रदर्शित हों और समर्थ ई-जीओवी को अपनाए।

के.एम. प्रफुल्लचंद्र शर्मा, संयुक्त सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली-110023, दिनांक 27 अगस्त 2026

शुद्धिपत्र

सं ई-11020/1/2024-हिंदी—भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-1 में प्रकाशित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के दिनांक 14.07.2026 के संकल्प में गैर-सरकारी सदस्यों की सूची में क्रम संख्या 13 पर सुश्री सिंध्या बैनिला खारबुली के स्थान पर सुश्री सिंधिया बनिल्ला खारबुली पढ़ें। संकल्प की अन्य सभी मदें यथावत रहेंगी।

शिव रतन, संयुक्त सचिव

शुद्धिपत्र

सं. ई-11020/1/2024-हिंदी—भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-1 में प्रकाशित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के दिनांक 14.07.2026 के संकल्प के अंग्रेजी पाठ में गैर-सरकारी सदस्यों की सूची में क्रम संख्या 13 पर Ms. Sindhya Banila Kharbuli के स्थान पर Ms. Cynthia Banylla Kharbuli पढ़ें। संकल्प की अन्य सभी मदें यथावत रहेंगी।

शिव रतन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 25th August 2026

No. 9-13/2026-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. Whereas, an online application was submitted by Srinivasan Charitable and Educational Trust on the UGC's Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category in the name of Dhanalakshmi Srinivasan Institute of Science and Research, NH-45, Trichy -Chennai National Highways, Siruvachur, Perambalur, Tamil Nadu under Section 3 of the UGC Act, 1956 by amalgamation of following institutions:

- i. Dhanalakshmi Srinivasan Medical College and Hospital
- ii. Dhanalakshmi Srinivasan Dental College
- iii. Srinivasan College of Nursing.

3. And whereas, UGC, vide its letter no. 40-13/2024 (CPP-I/DU) dated 02.03.2026, informed that the application was examined through its Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Committee, after overall assessment, unanimously recommended that letter of Intent (LoI) may be issued with certain conditions for establishment of Institution deemed to be university under distinct category in the name of Dhanalakshmi Srinivasan institute of Science and Research, Siruvachur, Perambalur, Tamil Nadu. The recommendation of the Committee was considered and approved by the Commission in its 595th meeting held on 30.01.2026.

4. And whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued letter of Intent (LoI) dated 25.05.2026 to Srinivasan Charitable and Educational Trust, Tamil Nadu for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years. Further, the sponsoring Trust, vide letter dated 04.06.2026, submitted compliance report in respect of the conditions mentioned in the LoI. Inter-alia, mentioning that it has created an exclusive Trust (Dhanalakshmi Srinivasan institute of Science and Research Trust) for the proposed Deemed to be University. The compliance report was sent to UGC for examination and advice.

5. And further whereas, UGC, vide its letter dated 27.07.2026, conveyed that the compliance report of the sponsoring body was accepted by its Expert Committee and recommended for grant of Institution deemed to be University status Dhanalakshmi Srinivasan institute of Science and Research, Siruvachur, Perambalur, Tamil Nadu under distinct category. The recommendation of the Committee was considered and approved by the Commission in its 598th meeting (item No. 2.30) held on 06.07.2026.

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval for conferment of Institution deemed to be University status under distinct category in the name of Dhanalakshmi Srinivasan Institute of Science and Research, Trichy-Chennai National Highways, Siruvachur, Perambalur, Tamil Nadu consisting of Institutions mentioned in para 2 above. This approval is further subject to the following conditions:

- i. Dhanalakshmi Srinivasan Institute of Science and Research, Siruvachur, Perambalur, Tamil Nadu shall follow the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ii. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- iv. Dhanalakshmi Srinivasan Institute of Science and Research, Perambalur, Tamil Nadu shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- v. The academic programmes to be offered at Dhanalakshmi Srinivasan Institute of Science and Research, Perambalur, Tamil Nadu shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vi. Dhanalakshmi Srinivasan Institute of Science and Research, Perambalur, Tamil Nadu shall align its course with National Education Policy-2020.
- vii. Dhanalakshmi Srinivasan Institute of Science and Research, Perambalur, Tamil Nadu shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National

Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.

- viii. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course/programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses/programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Dhanalakshmi Srinivasan Institute of Science and Research, Perambalur, Tamil Nadu.
- ix. Dhanalakshmi Srinivasan Institute of Science and Research, Perambalur, Tamil Nadu shall submit its MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA/Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- x. Dhanalakshmi Srinivasan Institute of Science and Research, Perambalur, Tamil Nadu shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- xi. Dhanalakshmi Srinivasan Institute of Science and Research, Perambalur, Tamil Nadu shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xii. Dhanalakshmi Srinivasan Institute of Science and Research, Perambalur, Tamil Nadu shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

K.M. PRAPHULLACHANDRA SHARMA, Joint Secretary

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi-110023, the 27th August 2026

CORRIGENDA

No. E-11020/1/2024-Hindi—In the resolution dated 14.07.2026 of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Youth Affairs and Sports published in the Gazette Of India, Part-I, Section-1, please read "Ms. Cynthia Banylla Kharbuli" instead of "Ms. Sindhya Banila Kharbuli" at serial number 13 in the list of non-official members. All the rest points will remain unchanged.

SHIV RATAN, Joint Secretary

No. E-11020/1/2024-Hindi—In the hindi text of the resolution dated 14.07.2026 of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Youth Affairs and Sports published in the Gazette Of India, Part I, Section-1, please read "सुश्री सिंधिया बनिल्ला खारबुली" instead of "सुश्री सिंधिया बैनिला खारबुली" at serial number 13 in the list of non-official members. All the rest points will remain unchanged.

SHIV RATAN, Joint Secretary